न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास बइजलास लहरीकुमार जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:–489 / 14

मनोज कुमार पुत्र उदयलाल जाति माली निवासी ग्राम रंगतलाव तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

(प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 12.112016

वादी ने उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीऐक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के खाते एंव कब्जे कास्त की आराजी ग्राम खजूरी पटवारी हल्का खजूरी तहसील कनवास में खाता संख्या नई 308 की खसरा नंबर 506 की रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 507 की रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 513 की रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 516 की रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 517 की रकबा 0.04 है0, कुल खसरा किता 05 की कुल रकबा 1.08 हैक्टर आराजी स्थित है । वादी द्वारा अपनी खरीदशुद्वा आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवााने हेतु नकल जमाबंदी प्राप्त की तो वादी की जानकारी में आया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम के आगे रिज्यूम शब्द दर्ज कर दिया है, जिसका प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नंही है। उक्त विवादित आराजी पर वादी के खरीद से पहले पूर्व खातेदार के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में चली आ रही थी, रिज्यूम्पशन ऑफ माफी एंव जागीरीज एक्ट प्रभाव में आने के वक्त आराजी के कब्जेदार खातेदार कृषक हो गये ,तथा आराजी रिज्यूम हो गई तथा उक्त खातेदार का नाम काश्तकार की हैसियत से दर्ज कर दिया गया था, परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने सेटलमेंट के बाद खातेदार के साथ रिज्यूम शब्द दर्ज कर दिया, वादी के नाम के साथ रिज्यूम शब्द दर्ज दिये जाने का कोई आशय नहीं है ऐसी स्थिति मे वादी उसके नाम के साथ दर्ज रिज्यूम शब्द हटवा कर अपने खाते में दुरस्ती करवाने का अधिकारी है।

अत; वादी के खाते कि आराजी ग्राम खजूरी पटवारी हल्का खजूरी तहसील कनवास मे खाता संख्या नई 308 की खसरा नंबर 506 की रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 507 की रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 513 की रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 516 की रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 517 की रकबा 0.04 है0, कुल खसरा किता 05 की कुल रकबा 1.08 हैक्टर खाते में वादी के नाम के साथ दर्ज रिज्यूम शब्द हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड की दुरस्ती किये जाने के आदेश पारित फरमावे जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्पूर्ण राजस्थान में जागीरदारी उन्मूल्न अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद खाते से माफी शब्द हटा कर सेवादारो को खुद काश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। रिज्यूम शब्द खाते से हटाने में आपत्ति नहीं है।

लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरण में हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। बहस के दौरान वकील वादी ने हमारा ध्यान प्रस्तुत उद्वरण आर आर डी 1985 पेज सं. 298–303 सरकार बनाम हरकलाल एंवम आर बी जे (13) 2006 पेज सं. 190–192 माननीय राजस्थान उच्च न्यायलाय जयपुर सरवन जीत बनाम सरकार व अन्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करया जिसमें माफी के 01.07.1963 के पुर्नग्रहण होने पर राज सरकार भूमिधारक के स्थान पर और विपक्षीगण को धारा 13 आरटीएक्ट तथा धारा 9 एंव 10 जागीर एक्ट के अनुसार सही दर्ज किया गया । एंव धारा 193 आर टी एक्ट 1955 पेश की । राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक/एफ.2(682)**Rev./B/62** दिनांक 5/6/65 व दिनांक 11/3/66 व अधिसूचना दिनांक 10.5.66 से तथा आर.टी. एक्ट की धारा 193 अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफी चौकीदारी, माफी ग्राम बलाई आदि उसकी अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी सेवादार होने से खातेदार आसामी हो गया है। अतः लोक अदालत की भावंना से पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्वरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि वाद पत्र में अंकित आरजी माल ग्राम खजूरी पटवारी हल्का खजूरी तहसील कनवास में खाता संख्या नई 308 की खसरा नंबर 506 की रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 507 की रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 513 की रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 516 की रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 517 की रकबा 0.04 है0, कुल खसरा किता 05 की कुल रकबा 1.08 हैक्टर भूमि पर अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि ग्राम खजूरी पटवारी हल्का खजूरी तहसील कनवास में खाता संख्या नई 308 की खसरा नंबर 506 की रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 507 की रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 513 की रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 516 की रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 517 की रकबा 0.04 है0, कुल खसरा किता 05 की कुल रकबा 1.08 हैक्टर भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा वादी के नाम के साथ रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें, तदानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें।

निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

(लहरीकुमार जैन)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास लहरी कुमार जैन **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) राष्ट्रीय लोक अदालत दिंनाक 12.11.2016

1. मनोज कुमार पुत्र उदयलाल जाति माली निवासी रंगतलाव तहसील लाडपुरा [illegible] जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

दावा बाबत अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 489/14 सन 2014 तारीख फैसला 12.11.2016 न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी नंबर 1 मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्वंय मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है, कि ग्राम खजूरी पटवारी हल्का खजूरी तहसील कनवास में खाता संख्या नई 308 की खसरा नंबर 506 की रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 507 की रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 513 की रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 516 की रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 517 की रकबा 0.04 है0, कुल खसरा किता 05 की कुल रकबा 1.08 हैक्टर भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा वादी के नाम के साथ रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें । तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जंाती है। नीज ... **X** ... मुबलिग ,... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2016 माह नवम्बर 2016 को जारी की गई।

मोहर ....

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	पया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ""	---------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा ""	---------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा ""			स्टाम्प अर्जी ""		
स्टाम्प वजह सबूत ""			महनताना वकील ""		
महनताना वकील ""			खर्चा गवाहान ""		
खर्चा गवाहान ""			फीस कमिश्नर ""		
फीस कमिश्नर ""			बाबत इजराय हुकमनामा ""		
बाबत इजराय हुकमनामा ""			मुतफरिक ""		
मुतफरिक ""			मीजान ""		
मीजान ""					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)